लो० ले० स० प्रकाशन संख्या 354

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 345

श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 1988-89 से 1991-92 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

(दिनांक..............को सदन में उपस्थापित)

विषय सूची

	पृ० सं०
1. लोक लेखा समिति का गठन	'क'
2. लोक लेखा समिति की उप-समिति —3 का गठन	'ख'
3. महालेखाकार एवं वित्त विभाग कार्यालय	'ग'
4. सभा सचिवालय	'घ'
5. प्राक्कथन	
6. प्रतिवेदन	1—16
7. परिशिष्ट	

लोक लेखा समिति का गठन (2001-2002)

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०

सदस्यगण

2. श्री भुनेश्वर चौधरी, स० वि० स०
3. श्री रामचन्द्र राय, स० वि० स०
4. श्री यदुवंश कुमार यादव, स० वि० स०
5. श्री शोभाकांत मंडल, स० वि० स०
6. श्री गिरिधारी यादव, स० वि० स०
7. श्री मुनीलाल यादव, स० वि० स०
8. श्री प्रेम कुमार, स० वि० स०
9. श्री राम नारायण मंडल, स० वि० स०
10. श्री प्रभु दयाल सिंह, स० वि० स०
11. श्री हरि नारायण सिंह, स० वि० स०
12. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, स० वि० स०
13. श्री रामनाथ ठाकुर, स० वि० स०
14. श्री चंडी प्रसाद, स० वि० प०
15. श्री बालदेव महतो, स० वि० प०
16. प्रो० नवल किशोर यादव, स० वि० प०
17. श्री वालेश्वर सिंह भारती, स० वि० प०
18. डा० मु० शमीम, स० वि० प०

बिहार विधान--सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति (3) का गठन वर्ष 2001-2002

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स॰ वि॰ स॰

संयोजक

2. श्री हरिनारायण सिंह, स॰ वि॰ स॰

सदस्यगण

3. श्री प्रेम कुमार, स॰ वि॰ स॰
4. श्री प्रभुदयाल सिंह, स॰ वि॰ स॰
5. श्री गिरिधारी यादव, स॰ वि॰ स॰
6. श्री चंडी प्रसाद, स॰ वि॰ प॰
7. श्री बालदेव महतो, स॰ वि॰ प॰

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एस० के० एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, रांची
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार झारखंड, पटना।
3. श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, पटना।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
7. श्री चन्द्र नाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त बिहार पटना।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त बिहार, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी--- सह--उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री के० पी० पाल, सचिव।

2. श्री ब्रजकिशोर सिंह प्रभात, उप-सचिव।

3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर-सचिव।

4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।

5. श्री जगदेव पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी।

6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।

7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।

8. श्री शिवपूजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी।

9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक।

प्राक्कलन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 से 1991-92 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 8 फरवरी 2002 की बैठक में समिति सर्वसम्मति से इसे पारित किया है।

इसको तैयार करने में महालेखाकार वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण अपने अपरिक्षेय परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है। अतः मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

समिति के मा० सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर इसे तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।

पटना :
दिनांक 18 फरवरी 2002

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

श्रम एवं नियोजन विभाग ने सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 से 1991-92 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 345

वर्ष 1988-89 (सिविल) की कंडिका संख्या 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7; 2.2.10, 2.3 एवं 2.7

वर्ष 1989-90 (सिविल) की कंडिका संख्या 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6; 2.8 एवं 3.20

वर्ष 1990-91 (सिविल) की कंडिका संख्या 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2. एवं 2.8

वर्ष 1991-92 (सिविल) की कंडिका संख्या 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.9 ~~2.7~~ एवं 2.7

श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) (खण्ड 3) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

श्रम एवं नियोजन विभाग

क्रमांक 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) खंड 3 की कंडिका 2.2.2

अनावश्यक पूरक प्रावधान

फरवरी 1989 में 1.87 करोड़ रुपये की अनुपूरक धन व्यवस्था अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि बचत 7.78 करोड़ रुपये की हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

श्रम नियोजन विभाग से संबंधित कंडिका नहीं है, यह सूचना पूर्व में दी गई है। पुनः सूचना (नियोजन पक्ष) सभा समिति को उपलब्ध करायी गई है।

इस कंडिका के अन्तर्गत अनुदान संख्या 35 के अधीन वित्तीय वर्ष 1988-89 में सिर्फ बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु रुपये 48,94,000 बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिया गया था और इस अग्रिम की सम्पूर्ण राशि को संबंधित जिला

को आवंटित कर दिया गया था जिसमें उपायुक्त सिंहभूम द्वारा 25,250 रु० जो बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से लिया गया था, को प्रत्यर्पित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी जिले द्वारा बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से आवंटित की गई राशि को प्रत्यर्पित नहीं किया गया है। इस तरह से उपर्युक्त कंडिका के अनुदान संख्या 35 के अधीन दर्शायी गई बचत की राशि 7.78 करोड़ में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा कार्यान्वित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना मात्र 25,250 रु० ही संबंधित है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग अपने स्तर से इस कंडिका का समीक्षा कर जानकारी प्राप्त कर ले तथा भविष्य में इसपर ध्यान रखे। एक ओर पूरक अनुदान लेती है और दूसरी ओर खर्च नहीं कर सकती।

समिति उक्त निदेश के आलोक में इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 2 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) खंड की कंडिका 2.2.4

अनुदान संख्या 35 में कुल अनुदान 29.98 करोड़ रुपये में 22.17 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ। बचत एक करोड़ से अधिक (7.78 करोड़ रु०) एवं कुल अनुदान का 25.97 प्रतिशत था। बचत का मुख्य कारण बजट प्रावधान रिक्त रखे गये। पदों, टेलीफोन का बिल देर से प्राप्त होना, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निधि कम मांग नियोजन सहायता कार्यक्रम बन्धुआ मजदूर कार्यक्रम पर कम व्यय था।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

(1) राज्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए पदों का रिक्त रखा जाना, नियोजन सहायता कार्यक्रम एवं बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम पर कम व्यय करना जबकि निधि उपलब्ध थी, उचित नहीं था।

(2) विभागीय बजट वास्तविकता पर आधारित हो।

समिति उक्त निदेश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में इस संदर्भ में सतर्कता बरते।

क्रमांक 3 कंडिका 2.2.7

अनुदान संख्या 35 में लगातार बचत देखी गई तथा बचत की प्रतिशतता वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में क्रमशः 14.10, 20.57 तथा 25.97 थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

समिति को विभाग से कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग को अपने बजट व्यवस्था के अनुसार विभागीय कार्यों को सम्पादित करना चाहिये । भविष्य में विभाग इसपर ध्यान रखे ।

उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

बचतों का अभ्यर्पण

क्रमांक 4 कंडिका 2.2.10

नियमानुसार बचत की संभावना ज्योंहि देखी जाय, तभी पूर्वानुमानित बचत अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिये । अनुदान संख्या 35 में कुल बचत 7.78 करोड़ रुपयों में मात्र 2.28 करोड़ रुपये की अभ्यर्पित किये गये तथा शेष 5.50 करोड़ रुपये बचे रह गये ।

समिति यह जानना चाहेगी कि—

(1) 5.50 करोड़ रुपये अभ्यर्पित नहीं किये जाने के क्या कारण थे ;

(2) इसके लिये जिम्मेदार पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ;

(3) बची हुई राशि का अभ्यर्पण समय पर नहीं होने से अन्य विभाग के कार्य कलापों पर भी बुरा असर पड़ता है । अत: समय पर अभ्यर्पण हो इसके लिये विभाग ने क्या कारवाई की है ?

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग द्वारा इसपर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

बचत राशि का समय पर अभ्यर्पण नियमानुसार करना चाहिये, किन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।

समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि विभाग इस दिशा में कारगर कारंवाई करे।

इस निदेश के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 5 कंडिका 2.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 1988-89 के दौरान संस्वीकृत आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की राशि से व्यतित रकम जिसे वर्ष के अन्त तक वापस नहीं किया गया परिशिष्ट (5)।

अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा का मुख्य शीर्ष	व्यय की राशि (लाख रु० में)
35 श्रम एवं नियोजन	2230-श्रम एवं नियोजन	62.03

समिति यह जानना चाहेगी कि—

(1) 62.03 लाख रुपये जो आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिया गया था उसे 1988-89 में ही वापस नहीं किये जाने के क्या कारण थे।

(2) आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की राशि का सामंजन उसी वर्ष के अन्त तक नहीं होना विभागीय शिथिलता का परिचायक है। इससे लेखा का भी सही चित्र सरकार के पास नहीं आ पाता है। अतः भविष्य में ऐसी अनियमितता नहीं हो इसके लिए विभाग ने कौनसा कदम उठाया है।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

आकस्मिकता निधि से लिये गये राशि का सामंजन उसी वर्ष के अन्त तक हो जाना चाहिए विभाग को इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए भविष्य में विभाग इसकी पुनरावृत्ति न करे।

समिति अ इस कंडिका को उक्त निदेश के आलोक में आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-6 कंडिका-2.7—

बचत।अधिक्य का अप्राप्त स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात विस्तत विनियोग लेखे जिनमें अनुदान वास्तविक खर्च का विनियोजन तथा पर ामी परिवर्त्तनों को उप शोर्ष वार दिखाते हुए नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है वे विभिन्न शोर्षो में हुए अन्तर के संबंध में स्पष्टीकरण दे सके अनुदान संख्या- 5 में बचत।अधिक्य का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है जबकि लोक लेखा समिति ने अपने 242 वें प्रतिवेदन में सिफारिश किया था कि बचत।आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को समय पर भेजा जाय।

समिति यह जानना चाहेगी कि—

(1) समिति के 24 2 में प्रतिवेदन के सिफारिश के बाद भी बचत।आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार कायालय को नहीं भेजा गया ।

(2) स्पष्टीकरण नहीं भेजने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कारवाई की गयी ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग को बचत अधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार को समय पर देना अनिवार्य होता है किन्तु विभाग द्वारा इसपर तत्परता नहीं की जाती है।

समिति इस निदेश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में महालेखाकार को समय पर स्पष्टीकरण प्राप्त करा दें ।

श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल)

की कंडिकाओं पर

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

श्रम एवं नियोजन विभाग
वर्ष 1989-90

क्रमांक-1 कंडिका संख्या-2.2.2

श्रम एवं नियोजन विभाग में वर्ष 1989-90 में 3.90 करोड़ रु० के अंतिम बचत को देखते हुए 0.6 करोड़ रु० का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

निधि की आवश्यकता का समुचित अनुमान लगाये बिना अनुपूरक अनुदान की माँग अपेक्षित नहीं थी ।

उक्त निदेश के साथ समिति अब इस कंडिका आगे बढ़ाना नहीं चाहती है । विभाग अपने बजट पर नियंत्रण रखे ।

क्रमांक-2 कंडिका संख्या-2.2.4

श्रम एवं नियोजन विभाग में वर्ष 1989-90 में कुल अनुदानित राशि में 32.53 करोड़ रुपये (मूल 31.86 करोड़, अनुपूरक-0.66 करोड़) में से व्यय 3.90 करोड़ रुपये कम हुए जो कुल प्रावधान का 11.99 प्रतिशत था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

प्रावधानित राशि में से 10 प्रतिशत से अधिक का बचत विभागीय बजट का वास्तविकता पर आधारित नहीं होना प्रतीत होता है । भविष्य में विभाग वास्तविकता पर आधारित ब.ट तैयार करें ।

समिति उक्त निदेश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-3 कंडिका संख्या-2.2.5

श्रम एवं नियोजन विभाग में वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तार हेतु 93 लाख रु० का पूरा प्रावधान अनुप्रयोजित रह गया है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नही हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अनुदान की पूरी राशि अनुप्रयोजित रह जाने के कारण प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका । भविष्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए विभाग सचेष्ट रहे ।

उक्त निदश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-4 कंडिका संख्या-2.2.6

अनुदान संख्या-35 में श्रम एवं नियोजन विभाग में लगातार तीन वर्षों से बचत देखी गई ।

वर्ष		1987-88	1988-89	1989-90
बचत की राशि		5.27	7.78	3.90
प्रतिशत	..	(20.57)	(25.97)	(11.98)

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

लगातार तीन वर्षों के बजट में 10 प्रतिशत से अधिक की बचत इस बात का संकेत है कि बजट वास्तविकता पर आधारित नहीं थी । विभाग भविष्य में वास्तविकता पर आधारित बजट बनाने की दिशा में कार्रवाई करें ।

उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक-5 कंडिका संख्या-2.8

बचत।अधिक्य का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होना ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वित्तीय अनुदान।विनियोग वास्तविक व्यय और परिणामी अंतर को उप-शीर्षवार दिखाते हुए ब्योरे वार विनियोग लेखा नियंत्रण पदाधिकारी को भेजा जाता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करें ।

लोक लेखा समिति ने अपने 242 वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी कि बचत एवं अधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय में निश्चित रूप से भेज दिया जाय ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिशें

बचत अधिक्य के कारणों का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय को तत्परता से भेजे जाने हेतु लोक लेखा समिति के 242 वें प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा

के आलोक में कार्रवाई अपेछित थी । भविष्य में विभाग इस आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक 6 कंडिका संख्या-3.20

बेरोजगारी प्रतीत भत्ता का अनियमित भुगतान

सरकार ने 21-40 वर्षों के आयुवर्ग में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की स्वीकृत के दिनांक से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए 50 रु प्रतिमाह (जनवरी, 1990 से 100 रु) के अल्प भत्ता के भुगतान की एक योजना को लागू किया बशर्ते कि निश्चित मापदंडों की पूर्ति करें जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, रोजगार कार्यालयों के साथ नामों का पंजीकरण, पारिवारिक आय इत्यादि भत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी.डी.ओ) और शहरी क्षेत्रों में उप विभागीय पदाधिकारियों (एस.डी.ओ.) के जरिए वितरित करना था ।

1981-82 से 1989-90 की अवधि के लिए निदेशालय में और 14 जिलों के चुनिन्दा प्रखंडों।उप विभागीय कार्यालयों में अभिलेखों को मार्च से जुलाई, 1990 तक संचालित एक जांच परीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकट हुई ।

(*i*) 1981—90 के दौरान स्थापना पर 714. 59 लाख रुपये सहित योजना के अन्तर्गत 7291. 87 लाख रुपए व्यय किया गया था । 275.83 लाख रुपए सहित प्रतिवेदन व्यय को रा स्व जमा के अन्दर रखा गया और 1.21 लाख रुपए जांचे गए 57 कायलयों से बी० डी० ओ०।एस० डी० ओ० द्वारा बैंकों में या रोकड़ के रूप में रखा गया था । भत्ते के नहीं वितरण करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

(*ii*) 1981—90 के दौरान, 2 लाख के पूर्वनुमानित विस्तार के विरूद्ध व्यक्तियों की संख्या जिन्हें योजना के अन्दर सहायता प्राप्त हुयी में विभिन्नता 0. 87 लाख से 1. 73 लाख प्रति वर्ष थी । सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्राप्तकर्ताओं को शहरी।ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिन्दा क्षेत्रों में स्वैच्छिक सामाजिक

सेवा अर्पित करना था जिसके लिए उनको 15 दिनों की अवधि का लघु प्रशिक्षण प्रदान करना था। सामाजिक सेवा के अर्पण करने से इन्कार के मामले में भत्ता का भुगतान बन्द हो जाना था। विभाग को व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और उनकी जिन्होंने स्वैच्छिक सामाजिक सेवा अर्पित किया था, के विषय में कोई सूचना नहीं थी। जांच परीक्षित जिलों में 1981—90 के दौरान प्रशिक्षण के लिए 117.14 लाख रूपए के आवंटन के विरूद्ध किए गए व्यय केवल 3.73 लाख रूपए 1981—90 के दौरान जांच परीक्षित जिलों में बेरोजगारों को 398.94 लाख रूपए की एक राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन प्राप्तकर्ताओं द्वारा अर्पित समाज सेवा का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

(*iii*) बेरोजगारों को सहायता बैंकों या पोस्ट ऑफिसों और एक तिमाही में में एक बार के जरिये वितरित नहीं किया गया था, जैसा कि योजना के अन्दर विचारित था। बकाये राशि को रोकड़ में वितरित किया गया था और वह भी भी एक मुश्त में वर्ष के एकदम अन्त में निर्मुक्त।

(*iv*) योजना के प्रावधानों के प्रतिकूल भत्ता तीन वर्षों से अधिक के लिए भुगतान किया गया था और कुछ मामलों में 8 वर्षों से भी अधिक के लिए परिमाणतः जांच परीक्षित जिलों में 217.92 लाख रूपयों का अनियमित भुगतान हुआ। सरकार के निदेशों के अन्तर्गत जनवरी 1990 से भत्ता का भुगतान रोक दिया गया था। मार्च, 1990 में सरकार ने निर्देशित किया गया कि लाभान्वितों की एक नवीन सूची तैयार की जायेगी दिसम्बर, 1990 तक कोई कारंवाई नहीं की गयी थी।

(*v*) भत्ता उस दिनों से देय था जब से यह स्वीकृत था। 6 जिलों (पलामू पटना, नवादा वैशाली, मुंगेर और हजारीबाग, के 4400 मामलों में 1981—83 के दौरान एक से सात महीनों के पूर्वगामी भुगतान के कारण 14.76 लाख रूपये व्यय किया गया था।

(*vi*) 1981—90 के दौरान 276 मामलों में 5.46 लाख रूपये उन प्राप्तकर्त्ताओं को भुगतान किया गया था जिनका रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण समाप्त हो गया था और नवीकरण नहीं हुआ था।

(*vii*) 14 जिलों जांच परीक्षित (गया और रांची के अलावे) में से 12 में 750 मामलों में से प्राप्तकर्त्ताओं को 24.57 लाख रूपए भुगतान किया गया था जबकि उनके पास वांछित शैक्षणिक योग्यतायें नहीं थी या रोजगार कार्यालयों में उनके नाम भी पंजीकृत नहीं पाये गये थे।

(*viii*) 14 जिलों गया और रांची के अलावे अन्य में से 12 में 433 मामलों में 7. 84 लाख रुपए उन व्यक्तियों में वितरित किया गया जो वांछित शर्तों में किसी को पूरा नहीं करते थे ।

(*ix*) 721 मामलों में (पटना और औरंगाबाद जिले) सरकार द्वारा नियत मापदंडों में सालाना पारिवारिक आय की एक स्वतंत्र जांच को संचालित किए बिना ही 34. 61 लाख रूपयों का भुगतान किया गया था ।

मामला सरकार को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त, 1992) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से उक्त वर्णित कंडिका का कोई स्पष्टीकरण समिति को प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें

यह कंडिका महत्वपूर्ण कंडिका है । किन्तु विभाग द्वारा इसकी सूचना समिति को नहीं दी गई । इसके लिए समिति अप्रसन्नता व्यक्त करती है ।

समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित जिलों के अभिलेखों एवं अंकेक्षण आपत्ति की समीक्षा करें,

(2) समीक्षा के उपरान्त पायी जानेवाली अनियमितताओं पर विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित कर कारगर कारंवाई करे,

(3) की गई कारंवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे,

(4) समिति उक्त अनुशंसा के आलोक में इस कंडिका को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है ।

श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1990—91 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

क्रमांक 1 कंडिका संख्या 2.2.2

अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध होना

7.84 करोड़ रुपये के अंतिम बचत को देखते हुए मार्च, 1991 में प्राप्त किया गया । 1.08 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभागीय स्पष्टीकरण अप्राप्त है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

संभावित व्यय के समीक्षोपरांत ही विभाग को अनुपूरक अनुदान लेने की कारंवाई करनी चाहिए ब ट वास्तविकी पर आधारित हो । विभाग इस संदर्भ में सतकर्त्ता बरते समिति उक्त निदेश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक 2 कंडिका संख्या 2.2.4

अनुदानों में से व्यय प्रत्येक एक करोड़ रुपये से अधिक और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक का होना ।

कुल प्रावधान 38.87 करोड़ बचत 7.85 करोड़ (20.20 प्रतिशत) विभागीय व्यय कुल 7.85 करोड़ रुपये से कम हो गया जो कुल अनुदान का 20.20 प्रतिशत था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय बजट का 20.20 प्रतिशत का व्ययन होना इस बात को इंगित करता है कि विभागीय बजट वास्तविकता पर आधारित नहीं था ।

समिति इस निर्देश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में वास्तविकता पर आधारित बजट तैयार किया करें।

क्रमांक 3 कंडिका संख्या 2.2.6.

लगातार बचत पाया जाना

वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक लगातार बचत पाया गया। वर्ष 1988-89 में बचत की राशि 7.78 करोड़ (25.97 प्रतिशत) 89-90 में 3.90 (11.98 प्रतिशत) तथा वर्ष 1990-91 में 7.85 (20.20 प्रतिशत) थी जिसकी प्रतिशतता भी ज्यादा थी।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग का उत्तर अप्राप्त है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

लगातार तीन वर्षों के बजट में बचत यह दर्शाता है कि बजट वास्तविकी आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। बजटरी नियंत्रण में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है समिति उक्त निर्देश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 4 कंडिका संख्या 2·2.9

बचतों का अभ्यर्पण

जैसे ही बचत की संभावना मालूम हो वैसे ही नियमानुसार सभी प्रत्याशित बचतों को अभ्यार्पित कर देना चाहिए।

परन्तु श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा कुल बचत की राशि 784.35 लाख रुपये में से 685.62 लाख रु० 31 मार्च, 1991 को अभ्यर्पित किया गया जो अंतिम बचत से 98.73 लाख रुपये कम था।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अब इस कंडिका को इस निर्देश के साथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में बचत की राशि का अभ्यर्पण समय पर करने का कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

क्रमांक 5 कंडिका संख्या 2.7

बचत का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होना ।

विभाग द्वारा 25 उप-शीर्ष में से 16 उप-शीर्षों में हुए बचत अधिक का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त नही हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अब इहकंडिका को इस निर्देश के साथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में बचत एवं आधिक्य के कारणों का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय को भेजने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

क्रमांक 6 कंडिका संख्या 2.8

लेखा कार्यालय के आंकड़े सेविभागीय आंकड़े का समाधान नहीं किया जाना

विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय पर उचित नियंत्रक रखने हेतु सरकार का स्थायी निदेश है कि उनके खाते में दर्ज व्यय को महालेखाकार के खाते में दर्ज आंकड़े से समय-समय पर समाधान होना चाहिए परन्तु श्रम एवं नियोजन विभाग के 2 विनियोग की इकाइयों में 0.12 करोड़ का समाधान महालेखाकार के खाते में नही हो पाया है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विभाग से यह अपेक्षा रखती है कि अपनी विभाग के आंकड़ों का मिलान समय-समय पर महालेखाकार से करना चाहिए । उक्त निर्देश के साथ समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) की कंडिका पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

श्रम एवं नियोजन विभाग
1991-92 (सिविल)

क्रमांक-1 कंडिका संख्या-2.2.2

विभागीय अनुदान में 10.25 करोड़ रुपये की बचत को देखते हुए 0.76 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सावित हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस कंडिका के संबंध में कोई स्पश्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

संभावित व्यय के समीक्षोपरान्त ही विभाग को अनुपूरक अनुदान लेने की कारंवाई करनी चाहिए। बजट वास्तविकता पर आधारित हो। विभाग इस संदर्भ में सतर्कता बरते।

समिति उक्त निदेश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है

क्रमांक-2 कंडिका संख्या-2.2.4

विभाग अपने अनुदानित राशि में से 10.25 करोड़ रुपये जो प्रावधानित राशि का 25.76 प्रतिशत था, का व्यय नहीं कर सका।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय बजट का 25.76 प्रतिशत का व्यय न होना इस बात को इंगित करता है कि विभागीय बजट वास्तविकी पर आधारित नहीं था।

समिति इस निर्देश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग वास्तविकता पर आधारित बजट तैयार किया करें।

क्रमांक-3 कंडिका संख्या-2.2.6

अनुदान सं० 35 में पिछले तीन वर्षों से लगातार बचत देखी गयी।

(करोड़ रुपये में)

	1989-90	1990-91	1991-92
	3.90	7.85	10.25
प्रतिशत ..	(11.98)	(20.20)	25.79)

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

लगातार तीन वित्तीव वर्षों के बजट में बचत यह दर्शाता है कि बजट वास्तविकी के आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। बजटरी नियंत्रण में सुधार हेतु आवश्वक कारंवाई अपेक्षित है।

समिति उक्त निदश के साथ अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है

क्रमांक-4 कंडिका संख्या-2.2.9

श्रम एवं नियोजनविभाग द्वारा अनुदान की राशि का बचत में 1.16 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण नहीं किवा गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अब इस कंडिका को इस निर्देश के साथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविश्य में बचत की राशि का अभ्यर्पण समय पर करने की कारंवाई सुनिश्चित करें।

क्रमांक-5 कंडिका संख्या-2.7

बचत।आधिक्य के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति नहीं होना

विभाग द्वारा 15 उप-शोर्षों में से 10 उप शीणों में हुई बचत/आधिक्य के कारणों का स्पष्टीकरण लेखा कार्यालय को नहीं भेजा गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति अब इस कंडिका को इस निर्देश के साथ आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि विभाग भविष्य में बचत एवं आधिक्य के कारणों का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय को भेजने की कारंवाई सुनिश्चित करें।

राम देव वर्मा,
सभापति
लोक लेखा समिति।

पटना
दिनांक 18 फरवरी,, 2002

बि०स०मु० (एल०ए०) 25 —मोनो जी०—650—25—6—2002—पटवर्धन

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2002